भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीए/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/065/03/2021
Ref. No: IRDAI/F&I/CIR/INV/065/03/2021 दिनांक/Date: 31.03.2021

परिपत्र
CIRCULAR

"अनुमोदित निवेश" के अंतर्गत इक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदण्ड
Dividend Criteria for Equity Investment under "Approved Investment"

जीवन और साधारण बीमा परिषदों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकरण आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बीमाकर्ताओं को 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए एतद द्वारा "अनुमोदित निवेश" के एक अंग के रूप में प्राथमिकता शेयर और ईक्विटी शेयर में निवेशों का वर्गीकरण करने की अनुमति देता है, यदि ऐसे शेयरों ने, "कम से कम लगातार पूर्ववर्ती दो वर्षों" के स्थान पर लगातार पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए" (जैसा कि आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016) के विनियम 3(क)(4) और 3(क)(5) के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए लाभांश का भुगतान किया है।

Considering the representations made by Life and General Insurance Councils, the Authority in exercise of the powers conferred under Regulation 14(2) of the IRDAI (Investments) Regulations, 2016, hereby permits Insurers to classify investments in Preference Shares and Equity Shares as a part of "Approved Investment" if such Shares have paid dividend "for at least 2 years out of 3 consecutive years immediately preceding" instead of "for at least 2 consecutive years immediately preceding" (as required under Regulation 3(a)(4) and 3(a)(5) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016) for the period from 1st April, 2020 to 30th Sep, 2021.

हस्ता. / Sd/-
(एस एन जयसिम्हन / S N Jayasimhan)
विभागाध्यक्ष (निवेश) / HoD (Investments)

सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in